द्वारा निर्धारित विनियमों का भी पालन करना है । भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जहां कहीं मेजबान देशों द्वारा ये निर्धारित किए गए हैं वहां हमारे सभी बैंक पूंजी अपेक्षाओं का पालन कर रहे हैं ।

गुजरात में आयकर छापे

4238. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा गुजरात में मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में जब्त की गई चल और अचल सम्पत्तियों तथा उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1 जुलाई, 1992 तक कितने मामलों का निपटारा नहीं किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वित्त वर्ष 1991–92 के दौरान आयकर विभाग ने गुजरात राज्य में 271 तलाशियां ली थीं । इन तलाशियों के दौरान निम्नानुसार लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थीं :—

(करोड़ रु. में)

नकदी	3.83
जेवर-जवाहरात	3.62
अन्य परिसम्पत्तियां	4.60
कुल	12.05

अभिगृहीत की गई सामग्रियों के आधार पर आवश्यक अनुवर्ती जांच-पड़ताल शुरू की गई हैं लेकिन सुसंगत मामले कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दिए जाने के चरणों तक नहीं पहुंचे हैं ।

गुजरात में सीमेंट उद्योगों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

4239. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निदेशालय, नई दिल्ली ने गुजरात में सीमेंट उद्योगों द्वारा की गयी करोड़ों रुपये की उत्पाद शुल्क की चोरी का पता लगाने का प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका निदेशालय वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) चूंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निदेशालय, दिल्ली नाम से कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न का संबंध अपवंचन-रोधी महानिदेशालय, नई दिल्ली से है । महानिदेशालय ने क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमेंट एककों की विशेष लेखा परीक्षा करने का अनुरोध करके गुजरात में सीमेंट उद्योग द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन करने के मामले का पता लगाने का प्रयास किया है । लेखा परीक्षा करने की कार्य-प्रणाली से संबंधित परिपत्र और विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किये गये थे । तथापि, गुजरात में सीमेंट एककों द्वारा शुल्क अपवंचन किये जाने के किसी बड़े मामले की अभी तक समाहर्तालयों द्वारा सूचना नहीं दी गयी है ।

मुम्बई में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

4240. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान ऐसे उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है ;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी धन-राशि अंतर्ग्रस्त है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) दिनांक 1-1-1991 से 30-11-1992 (लगभग 2 वर्ष) तक की अवधि के दौरान 1191 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जिनसे कुल 263.56 करोड़ रु. की रकम अंतर्वलित थी।

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 1048 व्यक्तियों को दंडित किया गया।

हथकरघा क्षेत्र के लिए बैंकों की योजनाएं

4241. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंक हथकरघा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है; और

(घ) हथकरघा क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कमजोर वर्गों, जिनमें कारीगर, ग्राम एवं कुटीर उद्योग शामिल हैं, को दिया जाने वाला अग्रिम उनके कुल अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत या उनके प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 25 प्रतिशत होना चाहिए। कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को दिए गए अग्रिमों में हथकरघा क्षेत्र भी शामिल होता है। आंकड़ा सूचना प्रणाली से हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की राशि के बारे में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती। सितम्बर 1989, सितम्बर, 1990 और मार्च 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों के नाम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया अग्रिम निम्नानुसार थे :—

निम्नलिखित के अंत में	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
सितम्बर 1989	1478725	659.62
सितम्बर 1990	2424597	754.07
मार्च 1991	1472603	724.11

Identifictaion ssytem to check tax Evasion

4242. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Board of Direct Taxes is actively considering the introduction of an identification system to check tax evasion and streamline revenue collection;

(b) if so, what are the salient features of the proposed system:

(c) by when the new system would be introduced; and

(d) what is the extent to which more tax evasion cases would be unearthed?